2019/00408

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 164/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गोपाल उर्फ गोपीराम पुत्र स्व॰ श्री घीसा उर्फ घीस्या जाति जाट निवासी ग्राम चम्पापुरा, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर प्रथम ।
2. श्रीमती मधु मोदी पत्नी श्री रामगोपाल मोदी जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर एफ–142, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर ।
3. घीसा पुत्र पन्ना
4. नन्दा पुत्र टोडा
5. श्रवण पुत्र कजोड
6. जगदीश पुत्र कजोड
7. श्रीमती सोनी बेवा कजोड
8. गोरधन पुत्र रूघा
9. मंगला पुत्र रूघा
10. तेजा पुत्र रूघा
11. श्रीमती मनभरी देवी बेवा नारायण
12. अर्जुन पुत्र नारायण
13. सुरज्ञान पुत्र नारायण ना बालिग जरिये माता श्रीमती मनभरी देवी पत्नी नारायण
14. गिरधारी पुत्र नारायण ना बालिग जरिये माता श्रीमती मनभरी देवी पत्नी नारायण
15. नानूडा पुत्र टोडा
16. लाला पुत्र टोडा
17. चन्दालाल पुत्र मांग्या
18. छोट्टू पुत्र मांग्या
19. लादू पुत्र उदाराम
20. हनुमान पुत्र उदाराम
21. कानाराम पुत्र उदाराम
22. रामलाल पुत्र उदाराम
23. लच्छी पुत्र उदाराम
24. गुल्ली पुत्र उदाराम
25. बिला पुत्री उदाराम

    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चम्पापुरा तहसील व जिला जयपुर।
26. लक्ष्मीनारायण पुत्र लडूराम जाति अहीर निवासी ग्राम चम्पापुरा तहसील व जिला जयपुर
27. रामस्वरूप पुत्र लडूराम जाति अहीर निवासी लुहारों का खुर्रा, मोहल्ला अहीरों का, इमली चौकडी, घाटगेट, जयपुर ।
28. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर व जिला जयपुर ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

29. उप पंजीयक जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 22/2008 ब उनवानी मधु मोदी बनाम घीसा व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने ।

उपस्थितः—

1. श्री भरत सिंह नरूका अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 21.11.2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 22/2008 ब उनवानी मधु मोदी बनाम घीसा व अन्य विचाराधीन है। उक्त उनवानी वाद में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 घासी उर्फ घीस्या का पुत्र है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 का दिनांक 06.08.2019 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 21.10.2019 को अधीनस्थ अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया । प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का मंजूर किये जाने के बाद अदालत को निवेदन किया कि प्रार्थी पत्रावली में तहसीलदार द्वारा आई कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति पेश करने हेतु समय चाहता है जिस पर अदालत ने प्रथम बार में ही प्रार्थी की आपत्ति पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया एवं इसके लिए तारीख पेशी भी दिनांक 23.10.2019 ही निर्धारित कर दी। दिनांक 23.10.2019 को प्रार्थी जब अधीनस्थ अदालत के यहां न्यायालय में गया तो न्यायालय में वकील वादी उक्त प्रकरण में बहस अन्तिम कर रहा था तो प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता को बुलाया एवं प्रार्थी के अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट के विरूद्व आपत्ति पेश करने हेतु निवेदन किया तो अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया के अधिवक्ता को कहा आपत्ति बन्द की जाती है आप अन्तिम बहस करें । प्रार्थी को अप्रार्थिया संख्या 2 के पति ने कहा कि आपत्ति पेश करो या मत करो मै तो अब मेरे वाद को फाईनल डिक्री करवा लूंगा, मेरे से पीठासीन अधिकारी से अच्छी जान पहचान है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने पीठासीन अधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया लेकिन पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के अधिवक्ता को कहा कि आप केस में फाईनल बहस करें, ताकि मै बहस सुन कर प्राथमिक डिक्री की बहस सुन कर फाईनल डिक्री कर दूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर दावे को डिक्री करालेंगे तो वो अपने वैद्यानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरित किया

जिला कलक्टर
जयपुर

जाना आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकील दिनेश पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एसबी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 22010/2018 आदेश दिनांक 163.05.2019 की फोटो प्रति पेश की है जिसमें अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को प्रकरण का 6 माह में निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है। इसी कारण से पीठासीन अधिकारी द्वारा जल्दी जल्दी तारीख पेशी दी जा रही है। पूर्व में भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानानतरण किये जाने के लिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो इसी कारण से दिनांक 09.09.2019 को खारिज किया जा चुका है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
6. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक 21-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जुगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर